छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष क्रमांक : 0771 – 243004, 243005 फैक्स क्रमांक : 0771 – 2437024, 2429385

क्रमांक/ 1837 /प0 स0/2018 रायपुर दिनांक 9-10-18

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त मान्यता प्राप्त (अग्रेषणकर्ता) संस्थायें,
छत्तीसगढ़ ।

स्वाध्यायी आवेदन भरने के निर्देश
सत्र 2018 – 2019

विषय :– **हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा वर्ष 2019 स्वाध्यायी आवेदन करने विषयक निर्देश ।**

शिक्षण सत्र 2018 – 2019 में आयोजित की जाने वाली हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी स्वाध्यायी परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषण हेतु, परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 05 जनवरी 2016 के निर्णयानुसार मण्डल की मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय समस्त संस्थाओं को अग्रेषण संस्था नियुक्त किया जाता है ।

परीक्षा समिति के निर्णयानुसार मण्डल कार्यालय द्वारा संचालित पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा 2017 – 2018 से समाप्त कर छात्रों को स्वाध्यायी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित कराया जावेगा । स्वाध्यायी छात्रों हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित की जाती है :–

(1) **हाईस्कूल परीक्षा में निम्न परीक्षार्थी स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे :–**

1.1 कक्षा 08वीं की परीक्षा, मार्च 2017 या उसके पूर्व उत्तीर्ण परीक्षार्थी। (अर्थात कक्षा 08वीं परीक्षा के बाद एक वर्ष का गेप अनिवार्य)

1.2 मार्च 2018 अथवा उसके पूर्व छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वी हाईस्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

1.3 मार्च 2018 अथवा उसके पूर्व छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, के समकक्ष अन्य बोर्ड अथवा परीक्षा निकायों की कक्षा 10वीं की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

1.4 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10वीं की स्थानीय (लोकल) परीक्षा, जिसे मण्डल की कक्षा 10वीं परीक्षा के समतुल्य मान्य किया गया है, वे छात्र भी स्वाध्यायी रूप से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे ।

(2) हायर सेकण्डरी परीक्षा में निम्न परीक्षार्थी स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे :-

2.1 मार्च 2017 अथवा इसके पूर्व माध्यमिक शिक्षा मण्डल की कक्षा 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी । (अर्थात 10 वीं परीक्षा के बाद एक वर्ष का गेप अनिवार्य) ।

2.2 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की समकक्षता प्राप्त अन्य मण्डलों एवं परीक्षा निकायों से मार्च 2017 या उसके पूर्व 10 वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

2.3 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल की मार्च 2018 की कक्षा 12 वीं/12 वीं व्यावसायिक की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

2.4 छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, की समकक्षता प्राप्त अन्य मण्डल अथवा परीक्षा निकायों से मार्च 2017 या उसके पूर्व कक्षा 12 वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ।

2.5 व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए निरन्तर दो अवसर प्रदान किये जायेंगे । छात्र दूसरे अवसर (पूरक परीक्षा) में प्रथम अवसर के समस्त अनुत्तीर्ण विषयों की परीक्षा दे सकेंगे ।

(3) हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :-

3.1 हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षाओं के स्वाध्यायी परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन भरने के लिये सर्वप्रथम मण्डल की वेबसाईट **www.cgbse.nic.in** से परीक्षा आवेदन का प्रारूप डाउन लोड करेंगे ।

3.2 इस प्रारूप में समस्त प्रविष्टियां स्वयं की हस्तलिपि में भरेंगे । अग्रेषण संस्था क्रमांक .... ब्लाक कोड अग्रेषणकर्ता संस्था (मण्डल की मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय संस्था) के प्राचार्य द्वारा ही भरा जायेगा ।

3.3 परीक्षार्थी स्वयं समस्त जानकारी भरने के उपरान्त परीक्षा में बैठने की पात्रता सम्बंधी दस्तावेज संलग्न करते हुए किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय/अशासकीय अग्रेषणकर्ता संस्था में आवेदन पत्र की जांच करायेंगे ।

3.4 परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र की पात्रता सम्बंधी जाँच प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर करके पात्र पाए जाने पर आवेदन पत्र को अग्रेषणकर्ता संस्था के प्राचार्य अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा लगाकर अग्रेषित करेंगे । (अग्रेषित आवेदन पत्र को अग्रेषण संस्था के प्राचार्य अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा लगाकर अग्रेषित करेंगे) अग्रेषित आवेदन पत्र अग्रेषणकर्ता संस्था प्राचार्य द्वारा जांच की जायेगी । इस हेतु संस्था को अग्रेषण शुल्क रूपये 40/- प्रति छात्र द्वारा देय होगा ।

3.5 मान्यता प्राप्त संस्था के प्राचार्य पात्रता की जाँच उपरान्त आवेदनों की प्रविष्टि आवेदन पत्र भरवाकर करेंगे । प्राचार्य द्वारा ऑनलाईन प्रविष्टि कर मण्डल को भेजा जाना है । यदि किसी प्राचार्य से बिना अग्रेषित एवं बिना प्रविष्टि के ऑनलाईन भेजा जाता है तो उसे मान्य नहीं किया जावेगा ।

3.6 आवेदन पत्र की प्रविष्टि के उपरान्त प्राचार्य परीक्षा आवेदन पत्र की जांच कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उसमें स्पैलिंग सम्बंधी या अन्य कोई त्रुटि नहीं है यदि कोई त्रुटि पायी जाती है तो त्रुटि सुधार, आवेदन पत्र जमा हेतु निर्धारित तिथि के पूर्व अनिवार्य रूप से कर लिया जावे । इसके उपरान्त त्रुटि सुधार आवेदन पत्र में किया जाना सम्भव नहीं है ।

3.7 त्रुटि रहित परीक्षा आनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त होने पर पात्रता सम्बंधी दस्तावेज सहित इसे अग्रेषणकर्ता संस्था में निर्धारित तिथि के पूर्व जमा करें ।

3.8 अग्रेषण संस्था के प्राचार्य द्वारा अन्तिम तिथि उपरान्त समस्त अग्रेषित आनलाईन पत्रों की सूची प्रिन्ट (नामिनल रोल) एवं आनलाईन पत्र दस्तावेजो एवं शुल्क का आनलाईन भुगतान की सूची समन्वयक संस्था में दिनांक के पश्चात् पांच दिवस की समय – सीमा में आवश्यक रूप से जमा करेंगे । समन्वय संस्था में उक्त दस्तावेज जमा होने के पश्चात् आगामी पांच दिवस की समय – सीमा में समन्वय संस्था संभागीय कार्यालय में जमा करायेंगे । समन्वय संस्था में प्राप्त इन आवेदन पत्रों एवं दस्तावेजों की जांच संभागीय कार्यालय में की जावेगी ।

3.9 संभागीय कार्यालय जांच उपरान्त समस्त प्रपत्र समन्वय संस्था में प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस की समय – सीमा में मण्डल मुख्यालय में जमा करायेंगे, जिसका मिलान अग्रेषण संस्था से प्राप्त सूची एवं आनलाईन पत्रों से किया जावेगा ।

3.10 अग्रेषण संस्था के प्राचार्य अग्रेषण शुल्क रूपये 40/– प्रति छात्र से पृथक से प्राप्त करेंगे, जिसमें संस्था प्रमुख/प्राचार्य को 20/– रूपये एवं सहायक अग्रेषणकर्ता शिक्षक को 15/– रूपये एवं सहयोगी भृत्य को 05/– रूपये देय होगा ।

3.11 कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने वाले ऐसे नवीन परीक्षार्थी जिनका नामांकन पूर्व में मण्डल से नहीं हुआ है, उसका नामांकन कक्षा 10वीं के लिए ई–सीरीज तथा कक्षा 12वीं के लिए एफ–सीरीज से आनलाईन पत्र भरते समय अग्रेषण संस्था प्राचार्य द्वारा कराया जाएगा । इस हेतु नामांकन शुल्क रूपये 60/– परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त जमा करना होगा ।

3.12 ऐसे परीक्षार्थी जो अन्य राज्य/बोर्ड के है उन्हे स्वाध्यायी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा आवेदन पत्र भरने के पूर्व अग्रेषणकर्ता के माध्यम से मण्डल के सम्बंधित संभागीय कार्यालय से पात्रता सम्बंधी समस्त दस्तावेज आनलाईन प्रिन्ट – आउट पत्र भरने की नियत तिथि के साथ जमा करना अनिवार्य होगा, जो परीक्षा शुल्क के साथ ही नामांकन शुल्क 60/– रूपये एवं ग्राह्यता शुल्क 220/– रूपये सम्मिलित है ।

(4) **नियमित अनुत्तीर्ण छात्रों को क्रेडिट योजना के अन्तर्गत चार अवसर का लाभ विषयक ।**

हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी मुख्य परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को पूरक परीक्षा में स्वाध्यायी छात्र के रूप में अनुत्तीर्ण विषयों में क्रेडिट योजना के अन्तर्गत आगामी परीक्षाओं में लगातार तीन अवसर (1) उसी सत्र की पूरक परीक्षा में (2) आगामी वर्ष की मुख्य परीक्षा में तथा (3) आगामी सत्र की पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण विषयों में सम्मिलित हो सकेगें । क्रेडिट योजना के अन्तर्गत उत्तीर्ण विषयों के अंकों को आगे की परीक्षा की अंकसूची में सम्मिलित किया जावेगा अर्थात विद्यार्थी को केवल अनुत्तीर्ण विषय से ही आगामी परीक्षा में सम्मिलित होना होगा ।

(5) **हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा नियमित एवं स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश ।**

1. छात्र का डिजिटल कैमरे से लिया हुआ नाम एवं दिनांक युक्त, रंगीन फोटोग्राफ चस्पा किया जाना है। कक्षा 10वीं स्वाध्यायी छात्रों एवं कक्षा 12वीं के स्वाध्यायी छात्रों को नवीनतम फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य है ।

2. वर्ष 2017 एवं 2018 की मण्डल परीक्षाओं में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण रहे छात्र श्रेणी सुधार हेतु वर्ष 2019 की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है, ऐसे छात्र पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा का अनुक्रमांक कराते हुए अग्रेषण संस्था के माध्यम से आनलाईन प्रिन्ट भर सकते हैं । इस श्रेणीं सुधार स्वाध्यायी छात्र अग्रेषण संस्था के कोड की करते हुए आनलाईन आवेदन भर सकेंगे । विषय परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा । श्रेणी सुधार योजना में अन्य बोर्ड के उत्तीर्ण छात्रों को श्रेणी सुधार की पात्रता नहीं होगी । इस योजना में केवल एक ही अवसर का लाभ मिलेगा । श्रेणी सुधार / अंक सुधार मे सम्मिलित होने वाले छात्रों को पूर्व प्राप्तांक में एक अंक की वृद्धि अथवा श्रेणी सुधार होने पर नवीन अंकसूची प्रदाय की जावेगी । छात्रों से पुरानी अंकसूची वापस प्राप्त होने पर नवीन अंकसूची प्रदाय की जावेगी ।

3. स्वाध्यायी छात्र मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार ही अतिरिक्त विषय चयन कर सकेंगे । परीक्षार्थियों को परीक्षा के विषयों का चयन मण्डल को प्रॉस्पेक्टस, हायर सेकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा वर्ष 2018 के अनुसार ही करना होगा । इस प्रकाशन के अनुसार छात्रों को दो भाषाओं के अतिरिक्त किसी एक समूह में, जिनमें से वह तीन विषयों का चयन कर सकेगा, परीक्षा देनी होगी । दो भाषओं में से एक अनिवार्यतः अँग्रेजी या हिन्दी लेना होगा । जिस भाषा का चयन एक समूह से किया जावेगा, उसका चयन दूसरे समूह में नहीं किया जा सकेगा ।

विज्ञान समूह के छात्र गणित अथवा जीवविज्ञान विषय अतिरिक्त विषय के रूप में ले सकते हैं । पत्राचार के लिये स्वाध्यायी का नियमित के अनुरूप रखा जाना उचित होगा ।

ह्यूमिनीटीज ग्रुप के विषयों के अन्तर्गत कम्प्यूटर एप्लाइसेस तथा वाणिज्य समूह में तृतीय प्रश्न पत्र के वैकल्पिक विषयों में कम्प्यूटर एप्लाइंसेस एवं गणित का समावेश किया गया है । सम्बंधित समूहों के विषयों के साथ छात्र पाठ्यक्रमानुसार विषय का चयन कर सकते हैं । कला समूह एवं वाणिज्य समूह के वैकल्पिक विषयों के अन्तर्गत व्यावसायिक गणित विषय का समावेश वर्ष 2016 से हायर सेकण्डरी परीक्षा में किया गया है । सम्बंधित समूहों के विषयों के साथ छात्र पाठ्यक्रमानुसार विषय का चयन कर सकते हैं । उक्त समूहों के विषय चयन करने वाले छात्र अन्य विषयों के साथ व्यावसायिक गणित अतिरिक्त विषय के रूप में भी ले सकते हैं, परन्तु यह प्रतिबंध होगा कि वे समूह के विषयों के अन्तर्गत गणित विषय नहीं ले सकेंगे ।

4. नेत्रहीन, मूक बधिर एवं स्पाटिक सेरेब्रल पाल्सी (मानसिक दिव्यांग) वर्ग के छात्र द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही विषयों का चयन कर सकेंगे । इस श्रेणी के हाईस्कूल परीक्षार्थियो का आवेदन भरते समय विषयों के कोड सावधानी से भरे जाये एवं विशेष ध्यान रखा जाये कि संगीत एवं चित्रकला विषय लिये जाने पर निर्धारित स्थान पर कोड भरे जाय । इन छात्रों को केवल एक भाषा हिन्दी (सामान्य) अथवा अंग्रेजी (सामान्य) विषय लेना अनिवार्य होगा ।

5. विषय एवं ब्लाक कोड लिस्ट मण्डल की वेबसाईट पर उपलब्ध है, तदनुसार ही आवेदन में सही कोड अंकित किये जाये ।

6. किसी भी प्राचार्य/अग्रेषण संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूली की जाती है तो हेल्प लाईन नम्बर : 18002334363 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं ।

(6) मण्डल की परीक्षाओं में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित होने के लिये शुल्क का विवरण ।

सक्र	विवरण	शुल्क
1	परीक्षा शुल्क (स्वाध्यायी संपूर्ण विषय)	880/-
2	द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अवसर हेतु एक विषय	200/-
3	द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अवसर हेतु दो विषय	240/-
4	दो से अधिक विषय हेतु	460/-
5	स्वाध्यायी छात्रों की पात्रता जांच करने हेतु अग्रेषणकर्ता अधिकारी को देय शुल्क	40/-
6	स्वाध्यायी (छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के छात्रों हेतु /नवीन छात्रों हेतु) कुल राशि	1100/-

संस्था / परीक्षार्थी निम्न माध्यमों से हाईस्कूल / हायर सेकण्डरी परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं का शुल्क निम्नानुसार जमा कर सकते हैं :–

संस्था प्राचार्य के पास छात्रों को परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान करना होगा, प्राचार्य द्वारा नगद भुगतान की रसीद छात्रों को प्रदान की जावेगी. प्राचार्य द्वारा एकजाई शुल्क आनलाईन मण्डल के खाते में निर्धारित दिनांक तक जमा करना होगा ।

आवेदन पत्र केवल प्रक्रिया से दिनांक 30.11.2018 तक सामान्य शुल्क के साथ भरे जा सकेंगे । नियत तिथि के उपरान्त 550/– रूपये विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 30.12.2018 तक तथा 1,100/– विलम्ब शुल्क के साथ आनलाईन प्रविष्टि दिनांक 15.01.2019 तक किया जाना है ।

संस्था प्राचार्य प्राप्त आवेदन एवं दस्तावेजों के आधार पर छात्रों की पात्रता की जांच करते हुए उपरोक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे । छात्र उपरोक्त निर्देशों से भलीभांति अवगत हो सके इसके लिए निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर चस्पा भी किये जाये ।

संलग्न
1. **आवेदन पत्रों का प्रारूप ।**
2. **एस0 सी0 / एस0 टी0 के शुल्क छूट / सूची का प्रपत्र ।**
3. **पात्रता सम्बंधी जानकारी का पोस्टर ।**

(हस्ताक्षर) 4/10/18
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर